(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 103 / 2023

पंजीकरण संख्या :– 2023 / 218

बउनवान

जानकी बाई पुत्री श्री मांगीलाल आयु 70 वर्ष पत्नी रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

1. रामचरण पुत्र श्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी हरनावदा जागीर तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारा

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध नायब तहसीलदार, छीपाबडौद के तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 211 दर्ज दिनांक 28.02.1983 वाके ग्राम हरनावदा जागीर तहसील छीपाबडौद की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक (अपीलांट)
2– अनुपस्थित (रेस्पोडेन्ट क्रम 1)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट क्रम 2)

निर्णय दिनांक 23.05.2024

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 211 दिनांक 28.02.1983 वाके ग्राम हरनावदा जागीर तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को जरिये सम्मन क्रमांक 871 दिनांक 12.09.2023 एवं सम्मन क्रमांक 238 दिनांक 22.02.2024 से 02 बार तलब किया गया। जो इस रिपोर्ट के साथ वापिस प्राप्त हुये कि उपस्थित होने के बावजूद भी रामचरण पुत्र मांगीलाल ने लेने से मना कर दिया और अपशब्दो का प्रयोग किया गया। इस पर प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की तामील होना माना गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 बावजूद सूचना के इस न्यायालय मे अनुपस्थित रहा है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है तथा अधीनस्थ न्यायालय से नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति तलब की गई, जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति को आधार मानकर सर्वप्रथम अपीलांट के अभिभाषक की लिमिटेशन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई ओर उसे स्वीकार किया जाकर अपीलांट के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 11:59:43 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौरान बहस कहा गया कि ग्राम हरनावदा जागीर, तहसील छीपाबडौद पटवार हल्का पचेल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ मे अपीलांट के पिता मांगीलाल पुत्र गोपाल के खाते मे खसरा नम्बर 135 की 8 बीघा 13 बिस्वा आराजी स्थित थी। मांगीलाल की मृत्यु हो जाने पर पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजी के मामले में दिनांक 08.02.1983 को नामान्तरकरण खोला गया। उसमें इस तथ्य का अंकन था कि मांगीलाल फोत हो चुका है जिसे 02 माह हो चुके है। सुलभी पुत्र रामचरण व बेवा चंपा बाई एवं पुत्री जानकी बाई मौजूद है। इस अंकन को आई.एल.आर. द्वारा सही माना गया है और नामान्तरकरण नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया। परंतु नामान्तरकरण में अपीलांट जानकी बाई का नाम बिना आधार के छोड दिया गया है जो अवैधानिक है। इसलिए अपीलांट जानकारी की दिनांक से नामान्तरकरण संख्या 211 के विरूद्ध निम्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत करती है :–

यह कि आदेश नायब तहसीलदार बाबत् नामान्तकरण संख्या 211 विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। राजस्व रिकार्ड से यह पूर्णतया साबित था कि उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 135 की 8 बीघा 13 बिस्वा अपीलांट के पिता मांगीलाल पुत्र गोपाल के खाते की थी एवं मांगीलाल की मृत्यु के बाद उसके जायज वारिस रेस्पो. क्रम 1 रामचरण पुत्र एवं अपीलांट पुत्री एवं चंपा बाई बेवा के नाम खोला गया। फिर भी बिना आधार के नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम अंकित नहीं किया जो अवैधानिक है।

मांगीलाल की मृत्यु के बाद उसके जायज वारिस पुत्र रामचरण बेवा चम्पा बाई एवं पुत्री अपीलांट उसके जायज वारिस थे एवं कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान थे। इसीलिए अपीलांट के नाम भी नामान्तरकरण खोला गया, परन्तु नामान्तरकरण मे एवं आगे के राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट का नाम दर्ज नही किया गया जो अवैधानिक है। अपीलांट की मां चंपा बाई का दिनांक 12.11.1990 को देहांत हो चुका है। उसकी मृत्यु के समय जो नामांतरणकरण संख्या 310 तस्दीक किया गया उसमें भी अपीलांट को चंपा बाई की लडकी माना गया है। परंतु उस नामान्तरणकरण में भी अवैधानिक रूप से अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया गया। उक्त नामांतरणकरण संख्या 310 की अपीलांट ने पृथक से अपील प्रस्तुत कर दी है।

उपरोक्त अपील मे वर्णित पेरा क्रम 1 लगायत 4 मे वर्णित तथ्यो से यह स्पष्ट है कि उक्त वर्णित खसरा नम्बर 135 की आराजी अपीलांट के पिता मांगीलाल पुत्र गोपाल के खाते की थी एवं मांगीलाल की मृत्यु हो चुकी है एवं उसके बाद अपीलांट की मां चम्पा बाई की भी मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति मे मृतक मांगीलाल खातेदार के केवल मात्र 2 वारिस अपीलांट पुत्री व रेस्पोडेन्ट रामचरण पुत्र है और दोनो उक्त आराजी पर समभाग से अर्थात 1/2, 1/2 हिस्से पर नामान्तरकरण खुलवाने के अधिकारी है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम हरनावदा जागीर तहसील छीपाबडौद की आराजी खसरा नम्बर 135 की 8 बीघा 13 बिस्वा आराजी के मामले मे तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 211 निरस्त किया जावे एवं उक्त आराजी पर समभाग से अपीलांट जानकी बाई एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 रामचरण के नाम समभाग से नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश फरमाया जावे ।

प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 211 दिनांक 28.02.1983 वाके ग्राम हरनावदा जागीर तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ का अवलोकन किया गया। अपीलांट का कथन है कि उक्त नामान्तरकरण मे अवैधानिक रूप से अपीलांट का नाम दर्ज नही किया गया।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 211 दिनांक 28.02.1983 वाके ग्राम हरनावदा जागीर तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद को इस आदेश के साथ रिमाण्ड/प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में मृतक मांगीलाल के समस्त विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 11:59:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को भरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ